न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक (2018) निगरानी – 6363/2018/अशोकनगर/भू.रा.

गुलाब सिंह यादव पुत्र प्रेमसिंह यादव, आयु- 53 वर्ष, व्यवसाय-कास्तकारी, निवासी- ग्राम बगनरी, चक सेमा, डोका तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर म0प्र0 …………**प्रार्थी**

बनाम

1. लालाराम पुत्र श्री हजरत सिंह यादव, आयु - लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासी- ग्राम मुडेरा, तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0
2. गोविंदसिंह पुत्र श्री बैताल सिंह, आयु- 47 वर्ष लगभग, व्यवसाय'- कृषि, निवासी- समरडोगा, तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर म0प्र0

…………**प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग दिनांक 10.09.2018 अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 प्र.क्र. 219/15-16 अपील ।

श्रीमानजी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अपर आयुक्त महोदय की विवादित आज्ञा कानून सही नहीं है ।
2. यहकि, अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 6363/2018/अशोकनगर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
6.12.18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 219/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.9.18 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 27.11.18 को प्रस्तुत की गई है। 2–म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। आवेदक चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। सदस्य	